न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 25/2021 निर्णय दिनांकः 30.03.2022
ऑनलाईन नंबर 2021/73

1. सुमेर सिंह 2.लक्ष्मण सिंह 3. चन्द्र सिंह 4. दलीप सिंह पुत्रगण प्रेमसिंह जातियान राजपूत निवासीगण लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर। —वादीगण—

बनाम

1. प्रेमसिंह पुत्र घेरूसिंह जाति राजपूत निवासी लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ।
2. सरोज कंवर पुत्री प्रेमसिंह पत्नी हेमसिंह जाति राजपूत निवासी जोधासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ।
4. शाखा प्रबन्धक बी.आर.के.जी.बी. शाखा लखासर।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—
1. श्री के.के. पुरोहित अभिभाषक वादीगण
2. श्री रामलाल नायक अभिभाषक प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।</u>

यह वाद सुमेरसिंह वगैरहा ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 एक ही गांव के निवासी है व प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता व प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण की बहिन है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खातेदारी खेत खसरा नम्बर 163 तादादी 5.2800 हैक्टेयर बारानी, खसरा नम्बर 33 तादादी 15.39 हैक्टेयर (0.2900 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता 15.10 हैक्टेयर बारानी) कुल खसरा 2 कुल तादादी 20.6700 हैक्टेयर वाकेरोही ग्राम गजपुरा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर में स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को उनके पिता घेरूसिंह पुत्र राजूसिंह की मृत्यु के बाद विरासतन प्राप्त हुई है। उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण के पूर्वज घेरूसिंह की होने से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 घेरूसिंह के सहदायिक है तथा जन्म से ही उपरोक्त कृषि भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 का हक हिस्सा है। वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 163 तादादी 5.2800 हैक्टेयर बारानी, खसरा नम्बर 33 तादादी 15.39 हैक्टेयर (0.2900 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता 15.10 हैक्टेयर बारानी) कुल 2 कुल तादादी 20.6700 हैक्टेयर वाकेरोही ग्राम गजपूरा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर में वादीगण का कुल 4/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का 2/6 हिस्सा है। उपरोक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 के पक्ष में छोड दिया है। यह कि पारिवारिक बंटवारें में खेत खसरा नंबर 33 तादादी 15.39 हैक्टेयर (0.2900 हैक्टेयर गै.मु.रास्ता व 15.10 हैक्टेयर बारानी) रोही ग्राम गजपुरा वादीगण के हिस्से पांति में आया है जिस पर वादीगण का संयुक्त रूप से ब.हि. ब. कब्जा काश्त है। वादीगण ने वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 33 तादादी 15.39 हैक्टेयर (0.2900 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता व 15.10 हैक्टेयर बारानी) रोही ग्राम गजपुरा की जमाबन्दी में अपने नाम से दर्ज करनें हेतु प्रतिवादी सख्या 3 से दिनांक 25.02.2021 को मिले व जमाबंदी में वादीगण के नाम से दर्ज रकने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर का बताते हुए जमाबन्दी में नाम दर्ज करने से मना कर दिया यही वाद हेतुक है। प्रतिवादी संख्या 4 से के.सी.सी. व कृषि ऋण प्रतिवादी संख्या 4 का लिया हुआ है। जमावंदी में प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में वादगत कृषि भूमि रहन है, इसलिये पक्षकार संयोजित किया गया है। वादगत कृषि भूमि का लेण्ड होल्डर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

प्रतिवादी संख्या 3 है जिसे आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 3 से किसी प्रकार का कोई अनुतोष नही चाहा गया है। दावा पूर्ण कोर्ट फीस व समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है तथा वादगत कृषि भूमि श्रीडूंगरगढ तहसील में स्थित होने से माननीय न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यह कि आवश्यक पक्षकार की हैसियत से प्रतिवादी संख्या 3 को पक्षकार बनाया गया है। कानूनी आपतियों को ध्यान में रखतें हुए स्टेट के विरूद्ध दावा करने से पूर्व धारा 80(2) सी.पी.सी. की नोटिस की छूट न्यायालय श्रीमान से प्राप्त कर दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री फरमाई जावें:-

(क) कि इस आशय की डिक्री फरमाई जावे कि वादगत खसरा नम्बर 33 तादादी 15.39 हैक्टेयर (0.2900 हैक्टेयर गै.मु.रास्ता 15.10 हैक्टेयर बारानी) वाकेरोही ग्राम गजपुरा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर मे वादीगण के पक्ष में ब.हि.ब. खातेदारी घोषित की जावें।

(ख) कि अन्य अनुतोष जो हितकर वादीगण हो वादीगण के पक्ष में फरमाया जावें।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबालिया राजीनामा पेश किया। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में वादी एवं प्रतिवादीगण को जरिये राजीनामें से वाद को स्वीकार करने में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 33 तादादी 15.39 हैक्टेयर (0.2900 हैक्टेयर गै.मु.रास्ता 15.10 हैक्टेयर बारानी) वाकेरोही ग्राम गजपुरा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर मे वादीगण के पक्ष में ब.हि.ब. खातेदारी घोषित की जाती है। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में छोड़ दिया है, तहसीलदार श्रीडूंगरगढ नियमानुसार परित्याग पत्र पर स्टाम्प डयूटी वसूल कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करें। रहन यथावत रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.3.22 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

निर्णय सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

प्राथमिक डिक्री
मुकदमें इन्तादाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी दिव्या आरएएस

उनवान

1. सुमेर सिंह 2.लक्ष्मण सिंह 3. चन्द्र सिंह 4. दलीप सिंह पुत्रगण प्रेमसिंह जातियान राजपूत निवासीगण लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

बनाम

1. प्रेमसिंह पुत्र घेरूसिंह जाति राजपूत निवासी लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ।
2. सरोज कंवर पुत्री प्रेमसिंह पत्नी हेमसिंह जाति राजपूत निवासी जोधासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ।
4. शाखा प्रबन्धक बी.आर.के.जी.बी. शाखा लखासर।

दावा बाबत घोषणात्मक
मुकदमा नम्बर 25/2021
निर्णय दिनांक ३०.०३...2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादी की ओर से अधिवक्ता के.के.पुरोहित एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की ओर से अधिवक्ता रामलाल नायक मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 33 तादादी 15.39 हैक्टेयर (0.2900 हैक्टेयर गै.मु.रास्ता 15.10 हैक्टेयर बारानी) वाकेरोही ग्राम गजपुरा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर मे वादीगण के पक्ष में ब.हि.ब. खातेदारी घोषित की जाती है। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में छोड़ दिया है, तहसीलदार श्रीडूंगरगढ नियमानुसार परित्याग पत्र पर स्टाम्प डयूटी वसूल कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करें। रहन यथावत रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक ३० माह 03 सन् 2022 को जारी किया गया ।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4.साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)